

पचा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

नि०न० 139/2025

1 मन्प्रीत सिंह पुत्र निशानसिंह जाति जटसिख निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

2 हरदेव सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी तारासिंह वाली तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।

3 गगनदीप सिंह पुत्र निशानसिंह जाति जटसिख निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यारे आम निशानसिंह पुत्र मुखत्यारसिंह जाति जटसिख निवासी
पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

3 निशानसिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 30/5/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष
वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु
प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित
होने के कारण वाद वादी मुत्ताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं०
23 एनजीसी के खाता सं० 42/153 में कुल 0.759 है० की आराजी वादी का वादी
काश्तकार व चकनं० 23 एनजीसी के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 87/159
में 0.759 है० आराजी में प्रतिवादी सं० 1 हरदेवसिंह का 1/3 हिरसा तथा इसी चक के
खाता सं० 170/160 में दर्ज कुल 2.783 है० आराजी में प्रतिवादी सं० 1 हरदेवसिंह का
464/2783 हिस्सा आराजी, तथा चक नं० 23 एनजीसी के खाता सं० 108/97 की कुल
3.795 है० में से हरदेवसिंह के 1/10 हिस्सा आराजी का प्रतिवादी सं० 3 को सातेदार
काश्तकार घोषित किया जाकर चक चक नं० 23 एनजीसी के खाता सं० 87/159 व
खाता सं० 170/160 व इसी चक के खाता सं० 108/97 में से प्रतिवादी सं० 1 हरदेवसिंह
का नाम कलमजन, चक नं० 23 एनजीसी के खाता सं० 42/153 में से प्रतिवादी सं० 2
गगनदीपसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिए जाते हैं तहसीलदार राजस्व
टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद यदि

सक्षम न्यायालय का रथगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल
दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी

को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी राक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे।

यह पर्चा दिवसी आज दिनांक 30/5/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



27
(राजेश्वर राय R.A.S.)
उपस्थित अधिकारी (राजस्व)
प्रदेशीय कलक्टर
देहरादून